न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 105/2014
प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 28/07/2014
निर्णय दिनांक : 16/02/2021

1. लोकराज सिंह पुत्र शंकर सिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद हाल निवासी जयपुर, जिला जयपुर।
2. विश्वराज सिंह पुत्र शंकर सिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद हाल निवासी जयपुर, जिला जयपुर।
3. जयवीर सिंह पुत्र शंकर सिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद हाल निवासी जयपुर, जिला जयपुर।
4. कृष्णकुमारी देवडा धर्मपत्नि शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद हाल निवासी जयपुर जिला जयपुर।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद, हाल निवासी प्लाट नम्बर 2102 शंकर सिंह की हवेली, बोराज हाउस, ठाकुर बोराज कां रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर जिला जयपुर।
2. सुदर्शन कंवर पुत्री शंकर सिंह पत्नि चन्द्रवीर सिंह निवासी ग्राम छापोल तहसील पपल्दा जिला कोटा, राजस्थान।
3. किरण कंवर पत्नि स्व. जितेन्द्र सिंह
4. अवधेश कंवर पुत्री शंकर सिंह

   समस्त जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद हाल निवासी जयपुर, जिला जयपुर।
5. दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र किशनलाल जाति महाजन निवासी एस–13 ए, महावीर मार्ग सी स्कीम, जयपुर।
6. नारायण अग्रवाल पुत्र पुरूषोतमदास जाति महाजन निवासी रिद्धी सिद्धी अर्पाटमेन्ट 101, अहिंसा सर्किल जयपुर।
7. मनोज अग्रवाल पुत्र नवरत्न अग्रवाल जाति महाजन निवासी एस–13 ए, महावीर मार्ग सी स्कीम, जयपुर।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

8. रामविलास पुत्र सुरजकरण जाति जाट निवासी सूरपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
9. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जयपुर।
10. उपपंजीयक तहसील मौजमाबाद, जयपुर।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री विनोद कुमार जैन
श्री राधेश्याम लक्षकार
श्री नानूराम धाभाई
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री मुकेश चौधरी
श्री अजीत चौपडा
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 8

श्री अरविन्द कुमार पारीक
श्री त्रिलोकेश सिंह
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2
श्री भैरूलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 ल. 7

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा।

अप्रार्थी संख्या 9 व 10 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित

निर्णय दिनांक 16/02/2021

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी संख्या 643 के खसरा नम्बर 194 रकबा 0.3600 है0, 195 रकबा 0.3600 है0, 196 रकबा 0.3700 है0, 270 रकबा 1.0000 है0, 2110 रकबा 2.8200 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.9100 है0 खाता संख्या 324 के खसरा नम्बर 2111 रकबा 2.9500 है0, खतौनी संख्या 325 के खसरा नम्बर 235 रकबा 0.5100 है0, 501 रकबा 0.0300 है0, 785 रकबा 0.1300 है0, 809 रकबा 0.3000 है0, 1902 रकबा 4.0700 है0, 2040 रकबा 1.3500 है0, 2061 रकबा 0.0100 है0, 2062 रकबा 1.7000 है0, 2064 रकबा 1.3100 है0, 2065 रकबा 0.8400 है0, 2080 रकबा 1.2800 है0, 2099 रकबा 0.7000 है0, 2100 रकबा 1.3500 है0, 2101 रकबा 0.3200 है0, 2102 रकबा 1.4700 है0, 2106 रकबा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

1.7700 है0, 2107 रकबा 0.9600 है0, 2108 रकबा 0.0100 है0, 2109 रकबा 0.9100 है0, 2179 रकबा 1.1500 है0, 2180 रकबा 1.2600 है0, **कुल किता 21 कुल रकबा 21.43 हैक्टेयर की भूमि वाके ग्राम बोराज** एवं खाता संख्या 136 के आराजी खसरा नम्बर 630 रकबा 0.4600 है0, 640 रकबा 0.1900 है0, 646 रकबा 1.0000 है0, 647 रकबा 0.2300 है0, 648 रकबा 0.2200 है0, 649 रकबा 0.3000 है0, 650 रकबा 0.5300 है0, 651 रकबा 0.5400 है0, 652 रकबा 0.1000 है0, 653 रकबा 0.1300 है0, 654 रकबा 0.1400 है0, 655 रकबा 0.0800 है0, 657 रकबा 0.1600 है0, 658 रकबा 0.0400 है0, 659 रकबा 0.1200 है0, 660 रकबा 0.2600 है0, 661 रकबा 0.6100 है0, 662 रकबा 1.5300 है0, कुल किता 20 रकबा 12.48 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 147 के खसरा नम्बर 642 रकबा 0.0400 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह की **भूमि वाके ग्राम सूरपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है।** उपरोक्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त पैत्रिक सम्पत्ति है, जिसमें पक्षकारान का संयुक्त रूप से बराबर बराबर हिस्सा है। उपरोक्त विवादित भूमि में शंकर सिंह के दर्ज हिस्से का विरासत से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी है, जिसकें बाबत कोई विवाद नही है। विवादित भूमि के खतौनी संख्या 643 के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/8 हिस्से के खतोनी संख्या 324 के अप्रार्थी संख्या 1 के दर्ज हिस्से के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/8 हिस्से के खतौनी संख्या 325 में अप्रार्थी संख्या 1 के दर्ज हिस्से के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/8 हिस्से के व खतौनी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/8 हिस्से के एवं खतौनी संख्या 147 के अप्रार्थी संख्या 1 के दर्ज हिस्से के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। और इसी हिस्सेनुसार पक्षकारान उनके पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि को आगे के पैराज में विवादित भूमि में सम्बोधित किया गया है। इस प्रकार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिनकें पूर्वज ठा. गणपत सिंह थे, जिनका देहान्त सम्वत 2011 के पूर्व हो गया था। ठाकुर गणपत सिंह ग्राम बोराज तहसील दूदू के जागीरदार थे, जिनकी जागिर में ग्राम बोराज, सुरपुरा व आस पास के गांव के जिनकी समस्त कृषि की समस्त भूमि राज्य सरकार में निहित होकर जिस जिस खातेदार का कब्जा काश्त था, उसे कब्जेकाश्त के आधार पर सम्वत 2011 में पर्चे जारी कर खातेदारी दी गई। विवादित भूमि पर पक्षकारान के पूर्वज ठा. गणपत सिंह काबिज काश्त थे, वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट उनका देहान्त होने से उनकी उपरोक्त

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

विवादित भूमि पर उनकें बेटे शंकर सिंह व उनकी पत्नि सुगन कंवर काबिज काश्त थे, इस आधार पर विवादित भूमि का खातेदारी पर्चा शंकर सिंह पुत्र गणपत सिंह व ठुकरानी सुगनकंवर पत्नि गणपत सिंह के नाम से जारी हुये। ठा. गणपत सिंह का वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट देहान्त हो चुका था, इसलिये उपरोक्त विवादित भूमि का पर्चा उनकें बेटे शंकर सिंह व उनकी पत्नि सुगन कंवर काबिज काश्त थे, इस आधार पर विवादित भूमि का खातेदारी पर्चा शंकरसिंह पुत्र गणपत सिंह व ठुकरानी सुगन कंवर पत्नि गणपत सिंह के नाम से जारी हुआ, जिस पर जब तक उक्त दोनों जीवित रहें विवादित भूमि पर काबिज काश्त रहें, तथा उनकी मृत्यू के पश्चात प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 संयुक्त रूप से काबिज काश्त हुये जो वर्तमान में काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित भूमि ठाकूर गणपत सिंह के कब्जेकाश्त की भूमि थी, जिसका पर्चा शंकर सिंह व सुगन कंवर के नाम से जारी हुये, जिसकें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 वारिसान है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है, विवादित भूमि में शंकर सिंह के दर्ज हिस्से का उनके देहान्त के पश्चात उनके वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम खातेदारी दर्ज हुयी। इसी अनुसार सुगन कंवर के फौत होने के पश्चात उनकें वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिये लेकिन स्व सुगनकंवर ने बिना इल्म व जानकारी प्रार्थीगण के अपने नाम जो उपरोक्त विवादित भूमि थी उसकी वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करवा दी, तथा उक्त वसियत के आधार पर सुगन कंवर के देहान्त के पश्चात अप्रार्थी 1 के नाम नामान्तकरण खोला जाकर खातेदारी दर्ज हुई। स्व. ठुकरानी सुगनकंवर के दर्ज हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने विवादित भूमि में उनका हिस्सा होने और उनका हिस्सा उनकें नाम लगाने हेतू अप्रार्थी संख्या 1 को कहने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि विवादित भूमि पर पक्षकारान संयुक्त रूप से मौके पर काबिज काश्त है, और उनका जो हिस्सा है, वह उनके नाम लगा देगा, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही करेंगा, अप्रार्थी संख्या 1 के उपरोक्त कथन पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 अपना सगा भाई होने तथा विवादित भूमि पर बराबर बराबर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने से विश्वास कर लिया। अप्रार्थी संख्या 1 के अकेले के नाम विवादित भूमि होने तथा अप्रार्थी संख्या 1 बिल्कुल भोला भाला व्यक्ति होने से अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को अपने बहकावें में लेकर उसके भोलेपन का नाजायज फायदा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) पाली

उठाते हुयें अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से उसके नाम दर्ज खातेदारी भूमि का अपने नाम हक त्याग करवा लिया, तथा इसी आशय का अप्रार्थी संख्या 1 से अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 31.07.2009 को अपने नाम रजिस्टर्ड हक त्याग करवा लिया। तथा उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर अपने राम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज करवा ली। अप्रार्थी संख्या 2 की नियत में शुरू से फितुर था, उसने इसी आशय से एक सुनियोजित योजना के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से उसकी नाम की खातेदारी भूमि का हक त्याग करवा लिया, अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपने हक में करवाये गये हकत्याग प्रार्थीगण के हितों के विपरित व उनके हक अधिकारों के विरूद्व करवाया गया हक त्याग है, जो बमुकाबले प्रार्थीगण प्रभावहीन व शुन्य है। उपरोक्त हकत्याग के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज हो गयी, जिसकी नियत में फितुर था, और वह प्रार्थीगण को उनके हक से वंचित रखना चाहती थी, इस आशय से अप्रार्थी संख्या 2 ने उपरोक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड भिन्न भिन्न विकय पत्रों के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 को विकय कर दी, अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 को जो भूमि विकय की है, वह प्रार्थीगण के हक व अधिकार की भूमि का विकय किया गया है जो बमुकाबलें प्रार्थीगण प्रभावहीन व शुन्य है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा जो विकय पत्र पंजीबद्व करवाये गये वह निम्न हैः— अप्रार्थी संख्या 5 के हक में कुल किता 20 रकबा 12.4800 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 के दर्ज 9/16 हिस्से व अप्रार्थी संख्या 2 के दर्ज 1/16 हिस्से का दिनांक 04.04.2013 को उपपंजीयक मोजमाबाद के यहां पंजीबद्व करवाया गया है एवं खसरा नम्बर 2111 रकबा 2.9500 हैक्टेयर का जो विकय पत्र दिनांक 28.02.2013 को उपपंजीयक मौजमाबाद के यहां पंजीबद्व किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 के हक में दिनांक 26.07.2013 को खतौनी संख्या 325 के खसरा नम्बर 1902 रकबा 4.7000 हैक्टेयर में दर्ज 10/16 हिस्से का विकय पत्र उपपंजीयक मौजमाबाद के यहां पंजीबद्व किया गया है। अप्रार्थी संख्या 7 के हक में दिनांक 26.07.2013 को खतौनी संख्या 325 के खसरा नम्बर कुल किता 12 रकबा 11.61 हैक्टेयर में दर्ज 10/16 हिस्से का विकय पत्र उपपंजीयक मौजमाबाद के यहां पंजीबद्व किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 8 के हक में खतौनी संख्या 352 के खसरा नम्बर कुल किता 8 रकबा 5.7500 हैक्टेयर में दर्ज 5/8 हिस्से का विकय पत्र उपपंजीयक मौजमाबाद के यहां पंजीबद्व किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा उपरोक्त विकय पत्र अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के हक में जो किये गये है वह प्रार्थीगण के हकों के किये गये

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर

विक्रय पत्र है जो बमुकाबले प्रार्थीगण प्रभावहीन व शुन्य है। उक्त विक्रय पत्रों से प्रार्थीगण उनकें हक तक किसी प्रकार से कानूनन पाबन्द नही है, न उन पर उक्त विक्रय पत्र किसी प्रकार से प्रभावी है। उपरोक्त विक्रय पत्रों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज हो गयी है जिसकें आधार पर अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 विवादित भूमि पर आये और प्रार्थीगण जो संयुक्त कब्जेकाश्त में थे की भूमि पर जबरन कब्जा करनें पर उतारू हो गये, जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा विरोध किया गया, और कहा गया कि विवादित भूमि उनकें कब्जेकाश्त व खातेदारी की है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 किसी प्रकार से कब्जा नही कर सकते है जिस पर अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के द्वारा कहा गया कि विवादित भूमि उन्होनें क्रय की है, तथा जिसकी खातेदारी भी उनकें नाम दर्ज हो गयी है और वे उनकें द्वारा क्रय की गई भूमि पर कब्जा करेंगे। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 के उपरोक्त कथन पर प्रार्थीगण के द्वारा समस्त विक्रय पत्रों की नकले प्राप्त करनें पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थीगण की पैत्रिक भूमि का भी विक्रय कर दिया है जिस पर प्रार्थीगण के लिये आवश्यक हुआ कि वह विवादित भूमि में अपने हिस्से की घोषणा हेतू वाद प्रस्तुत कर विक्रय पत्रों को बमुकाबलें प्रार्थीगण प्रभावहीन व शुन्य घोषित करावें। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 दिनांक 06/07/2014 को एकराय होकर उपने उपरोक्त उदेश्य की पूर्ति हेतू विवादित भूमि पर जबरन कब्जा काश्त करनें हेतू आये और विवादित भूमि पर काश्त करने पर उतारू हो गये, जिसका प्रार्थीगण के द्वारा प्रबल विरोध किया गया एवं कहा कि अप्रार्थीगण ने उनकी पैत्रिक भूमि का विक्रय पत्र करवाया है, जिसमें उनका हक व अधिकार है, वे अप्रार्थीगण को किसी भी सुरत में जबरन कब्जा काश्त नही करने देंगे, जिस पर अप्रार्थीगण उस समय तो वापस चले गये लेकिन जाते जाते अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 ने ऐलानिया धमकि दी कि वे यथाशिघ्र उनके द्वारा क्रय की गई भूमि पर जबरन कब्जा करके ही रहेगें और प्रार्थीगण के द्वारा उन्हे कब्जा नही करने दिया तो वे यथाशिघ्र भूमि को विक्रय कर प्रार्थीगण को बेदखल कर देगें। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के लिये आवश्यक हुआ कि वह अपने हितों की रक्षार्थ उक्त वाद बावत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करे।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर

पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में मजाहमत नही करें न अन्य से करावे, तथा अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 8 को पाबन्द किया जावें कि वे विकय पत्रों के आधार पर विवादित भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, तथा कब्जा करने से बाज रहे, तथा विवादित भूमि को किसी प्रकार से विकय या हस्तान्तरण नही करे तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 08/10/2014 को प्रार्थीगण की ओर से श्री विनोद कुमार जैन, राधेश्याम लक्षकार, श्री नानूराम धाभाई एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से श्री मुकेश चौधरी, श्री अजित चौपडा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।

दिनांक 06/04/2015 को श्री के.के. लखेरा व सूश्री निशा पारीक एडवोकेट ने प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 28/10/2015 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अरविन्द कुमार पारीक, श्रीत्रिलोकेश सिंह ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5 ल. 7 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

दिनांक 06/01/2016 को प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 10 पर बहस सुनी जाकर दिनांक 19/01/2016 को प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। दिनांक 03/02/2016 को अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। दिनाक 16/03/2016 को अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। दिनांक 16/11/2016 को अप्रार्थी संख्या 9 व 10 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब नही देना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 ल. 8 की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 ल. 8 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात नकल प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 643, 325 वाके ग्राम वोराज, खतौनी संख्या 136, 147 वाके ग्राम सूरपुरा सम्वत 2067 से 2070, नकल प्रमाणित विकय–पत्र दिनांक 28/02/2013, 26/07/2013, 04/04/2013, 26/07/2013, नकल प्रमाणित प्रति हकत्याग दिनांक 31/07/2009, नकल

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर

प्रमाणित पर्चा सैटलमेन्ट खाता संख्या 419/1, नकल प्रमाणित मिलान क्षैत्रफल तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 ल. 8 की ओर से प्रस्तुत जवाब का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या केस</u>– अवलोकन से यह स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजी को अपनी पैतृिक आराजी बताते हुये अपना हक व हिस्सा बताकर एवं अप्रार्थी संख्या 1 के हक में हुयी वसीयत तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 ल. 8 के हक में किये गये विक्रय–पत्रों को गलत बताते हुये अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का निवेदन किया है प्रकरण का गहनता से अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि विक्रय–पत्र दिनांक 28/02/2013, 26/07/2013, 04/04/2013, 26/07/2013 के द्वारा ने उक्त आराजीयात अप्रार्थीगण संख्या 5 ल. 8 को बैचान की जा चुकी है, जिसमें क्रेतागण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उचित प्रतिफल अदा कर विक्रय–पत्र निष्पादित करवाया है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 5 ल. 8 के नाम से दर्ज हुयी है तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 5 ल. 8 अपने क्रयशुदा हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त हे, इसलिये प्रथमतः तो एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नही किया जा सकता हैं द्वितीयतः बकौल प्रार्थीगण यदि विभिन्न उपरोक्त वर्णित विक्रय–पत्र गलत हुये है, तो उनको निरस्त की कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में करनी चाहिये थी। तृतीयतः पक्षकारान के हक हकूकों का निर्धारण भी मूल वाद के निर्णय पर ही हो सकता है तथा यदि प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्रश्नगत आराजी में बनता भी हो तो वह मूल वाद के निस्तारण पर स्वतः ही तय हो जायेगा ऐसी स्थिति में यदि एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, तो उन्हें अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण संख्या 5 ल. 8 के पक्ष में पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – यह कि चूंकि अप्रार्थी संख्या 5 ल. 8 सद्भावी केता है एवं विवादित आराजी के काविज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है इसलिये एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता हैं, यदि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

अप्रार्थी संख्या 5 ल. 8 को पाबन्द किया जाता है तो उन्हें अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं प्रकरण में भी बेवजह पेचीदगीयां बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के बजाय अप्रार्थी संख्या 5 ल. 8 के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

अपूर्तनीय क्षति – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू अप्रार्थी संख्या 5 ल. 8 के पक्ष में बनना पाये जाते है, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थीगण संख्या 5 ल. 8 के पक्ष में बनना पायी जाती हैं।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण संख्या 5 ल. 8 के पक्ष में प्रबल है, जिनको अप्रार्थी संख्या 5 ल. 8 ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खतौनी संख्या 643 के आराजी खसरा नम्बर 194, 195, 196, 270 कुल किता 05 कुल रकबा 4.9100 हैक्टेयर, खाता संख्या 324 के आराजी खसरा नम्बर 2111 रकबा 2.9500 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 325 के आराजी खसरा नम्बर 235, 501, 785, 809, 1902, 2040, 2061, 2062, 2064, 2065, 2080, 2099, 2100, 2101, 2102, 2106, 2107, 2108, 2109, 2179, 2180 कुल किता 21 कुल रकबा 21.43 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद एवं खाता संख्या 136 के आराजी खसरा नम्बर 630, 640, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660, 661, 662, कुल किता 20 कुल रकबा 12.48 हैक्टेयर, खाता संख्या 147 के आराजी खसरा नम्बर 642 रकबा 0.0400 हैक्टेयर वाके ग्राम सूरपुरा, तहसील मौजमाबाद के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू